मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् १९८२.

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१.

[दिनांक १६ दिसम्बर १९८१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण); में दिनांक १२ जनवरी १९८२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कतिपय उपकरों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

भाग—१ ऊर्जा विकास उपकर.

परिभाषाएं.

२. इस भाग में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "उपकर" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्ग्रहीत ऊर्जा विकास उपकर;

(ख) "निधि" से अभिप्रेत है धारा ३ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट ऊर्जा विकास निधि;

(ग) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जो मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) में परिभाषित की गई हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस अधिनियम में दिये गये हैं.

ऊर्जा विकास उपकर का उद्ग्रहण

३. (१) धारा ४ में विनिर्दिष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुये, विद्युत् ऊर्जा का प्रत्येक वितरक उस विद्युत् ऊर्जा के, जो किसी मास के दौरान किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में तथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परन्तु कोई उपकर ऐसी विद्युत् ऊर्जा के संबंध में देय नहीं होगा जो—

(एक) भारत सरकार तथा भारतीय रेलों को बेची या प्रदाय की गई हो;

(दो) विद्युत् ऊर्जा के वितरक द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण की प्रक्रिया में, उपभुक्त की गई हो;

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, "मास" से अभिप्रेत है ऐसी कालावधि जो विहित की जाय.

(२) उपधारा (१) के अधीन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गये उपकर के आगमों के समतुल्य हो और उसे एक ऐसी पृथक् निधि में जमा करेगी जो ऊर्जा विकास निधि कहलायेगी और उक्त निधि में जमा की गई ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(३) निधि में जमा रकम, राज्य सरकार के विवेकानुसार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जायगी,—

(क) ऊर्जा, जिसके अन्तर्गत विद्युत् ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के अन्य परम्परागत (कन्वेंशनल) तथा अपरम्परागत (नॉन कन्वेंशनल) स्रोत भी आते हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास ;

(ख) ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा उपयोग संबंधी दक्षता में सुधार, जिसके अन्तर्गत पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि का कम किया जाना भी आता है ;

(ग) अधिकतम दक्षता, निरन्तरता तथा सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से, उन उपस्करों के, जो ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाये जाते हैं, रूपांकन (डिजाइन), सन्निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और सामग्री के बारे में अनुसंधान ;

(घ) ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिये, ऊर्जा के स्रोतों, जिनके अन्तर्गत अस्थायी (नॉन पेरीनियल) स्रोत भी आते हैं का सर्वेक्षण ;

(ङ) ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम ;

(च) उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधाओं और सेवाओं का दिया जाना जो आवश्यक समझी जायं ;

(छ) विद्युत साधित्रों तथा उपस्करों और ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाये जाने वाले अन्य उपस्करों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं का संस्थापन ;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये साधक प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(झ) ऊर्जा के क्षेत्र में टेकनोलाजी का अन्तरण ;

(ञ) विद्युत् ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उपयोग के सुधार से संबंधित कोई अन्य ऐसे प्रयोजन जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में "ऊर्जा" के अन्तर्गत ऊर्जा के समस्त परम्परागत और अपरम्परागत रूप आते हैं.

(४) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह प्रयोजन जिसके लिये निधि का उपयोग किया जा रहा है, उपधारा (३) के अन्तर्गत आने वाला प्रयोजन है अथवा नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १० सन् १९४९ और उसके अधीन बनाये गये नियमों का लागू होना.

४. मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ४ से ९ (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुये) तक के उपबंध और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध इस अधिनियम के अधीन उपकर को यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उस अधिनियम के अधीन विद्युत् शक्ति के विक्रय या उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण को लागू होते हैं, और उस प्रयोजन के लिये, "शुल्क" या "विद्युत् शुल्क" के प्रति स्थिति उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किये गये निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह "उपकर" के प्रति निर्देश हैं.

भाग—२ नगरीय विकास उपकर.

परिभाषाएं.

५. इस भाग में,—

(क) "उपकर" से अभिप्रेत है धारा ६ के अधीन उदग्रहीत नगरीय विकास उपकर;

(ख) "स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि" से अभिप्रेत है—

(एक) किसी नगरपालिक निगम की दशा में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६);

(दो) किसी नगरपालिका परिषद् या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति की दशा में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) ;

(तीन) किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की दशा में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) ;

(चार) किसी छावनी बोर्ड की दशा में, छावनी अधिनियम, १९२४ (१९२४ का सं. २) ;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि के अधीन गठित या गठित समझा गया यथास्थिति कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी या कोई छावनी बोर्ड ;

(घ) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी स्थानीय प्राधिकरण के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ;

(ङ) "सम्पत्ति कर अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति कर अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १४ सन् १९६४) ;

(च) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है वाणिज्यिक या औद्योगिक महत्व का कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या, गत जनगणना के अनुसार, दस हजार या उससे ऊपर हो और जो नगरपालिका क्षेत्र न हो ;

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जो स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि में या सम्पत्ति कर अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति उक्त विधि या सम्पत्ति कर अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

भूमियों और भवनों पर उपकरण का उद्ग्रहण.

६. (१) नगरपालिका क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त भूमियों या भवनों पर या दोनों पर नगरीय विकास उपकर, वार्षिक भाड़ा मूल्य या वार्षिक मूल्य के ५ प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष के लिये प्रभारित किया जायगा, उद्ग्रहीत किया जायगा और चुकाया जायगा :

परन्तु जहां ऐसी भूमियां या भवन या दोनों स्वयं स्वामी के अधिभोग में हों, वहां उपकर की दर पूर्वोक्त दर की आधी होगी :

परन्तु यह और भी कि उन भूमियों या भवनों या दोनों के संबंध में कोई उपकर प्रभारित नहीं किया जायगा, उद्ग्रहीत नहीं किया जायगा और चुकाया नहीं जायगा जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य या वार्षिक मूल्य दस हजार रुपये से कम हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर उस कर के अतिरिक्त होगा जो उन भूमियों या भवनों या दोनों पर, उनके वार्षिक भाड़ा मूल्य या वार्षिक मूल्य के संबंध में, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि या सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन प्रभारित किया गया हो और उद्गृहीत किया गया हो, और स्वामी द्वारा उसी रीति में देय होगा जिसमें वह कर देय होता है.

(३) इस भाग के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि के या सम्पत्ति कर अधिनियम के उपबन्ध और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध उपकर को उसी प्रकार लागू होंगे मानों उपकर यथास्थिति उक्त विधि या सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर हो.

उपकर आदि का संग्रहण.

७. (१) इस भाग तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वे प्राधिकारी, जो नगरपालिका क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में भवनों या भूमियों या दोनों पर, उनके वार्षिक भाड़ा मूल्य या वार्षिक मूल्य के संबंध में यथास्थिति स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि या सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण करने, पुनर्निर्धारण करने, संग्रहण करने और उसका संदाय कराने के लिये सशक्त हैं, उपकर कर तथा किसी ऐसी शास्ति का, जो स्वामी द्वारा देय हो, राज्य सरकार की ओर से निर्धारण करेंगे, पुनर्निर्धारण करेंगे, संग्रहण करेंगे और उसका संदाय कराएंगे, और इस प्रयोजन के लिये वे उन समस्त शक्तियों का, जो उक्त विधि या अधिनियम के अधीन उन्हें प्राप्त हैं, या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.

(२) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संगृहीत उपकर के आगम, उसमें से संग्रहण प्रभारों के मद्दे ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार नियत करे, काट लेने के पश्चात्, राज्य सरकार के खाते में ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जमा किये जायेंगे जो विहित की जाय, और नगरीय विकास स्कीमों, विशिष्टतः गंदी बस्ती उन्मूलन के लिये उपयोजित किये जायेंगे.

भाग—३ रिक्त भूमि और कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के अन्तरण पर उपकर

परिभाषाएं. ८. इस भाग में,—

(क) "रिक्त भूमि" से अभिप्रेत है ऐसी खुली भूमि जो मुख्यत: कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हो ;

(ख) अभिव्यक्ति "कृषि" तथा "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये हैं.

रिक्त भूमि के अन्तरण पर उपकर. ९. (१) रिक्त भूमि और कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के अन्तरण पर उपकर, ऐसे अन्तरण के प्रतिफल के मूल्य के ५ प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायगा, उद्गृहीत किया जायगा और चुकाया जायगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर, रिक्त भूमि तथा कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जानेवाली भूमि के अन्तरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जायगा और वसूल किया जायगा.

(३) उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९का सं. २) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है.

(४) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिये तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उप धारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णत: न चुका दिया गया हो.

(5) उपकर के आगम ग्रामीण विकास, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिये व्यवस्था करने के लिये उपयोजित किये जायंगे.

भाग ४—कोयले के भंडारकरण पर उपकर.

कोयले के भंडारकरण पर उपकर का उद्गृहण. १०. (१) राज्य के भीतर कोयले के समस्त भंडारकरण पर, जिसमें कोयला, राज्य की कोयला खानों में से निकाले जाने तथा प्रेषित किये जाने के पश्चात् भंडार में रखा जाता है, उपकर उस कोयले के, जो भंडार में रखा गया हो, प्रति टन पर दो रुपया की दर से उद्गृहीत किया जायगा और संगृहित किया जायगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत उपकर, इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार, ऐसे अभिकरणों द्वारा और ऐसी रीति में संग्रहित किया जायगा जैसा विहित किया जाय.

नियम बनाने की शक्ति. ११ (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 1982

क्र. 762-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवनारायण जौहरी, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1982

THE MADHYA PRADESH UPKAR ADHINIYAM, 1981.

Table of Contents

Sections :

1. Short title, extent and commencement.

PART I—ENERGY DEVELOPMENT CESS

2. Definitions.
3. Levy of energy development Cess.
4. Madhya Pradesh Act No. X of 1949 and rules made thereunder to apply.

PART II—URBAN DEVELOPMENT CESS

5. Definitions.
6. Levy of cess on lands and buildings.
7. Collection of cess, etc.

PART III—CESS ON TRANSFER OF VACANT LAND AND LAND USED FOR THE PURPOSE OF AGRICULTURE

8. Definition.
9. Levy of cess on transfer of vacant land.

PART IV—CESS ON STORAGE OF COAL

10. Levy of cess on storage of coal.
11. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1982

THE MADHYA PRADESH UPKAR ADHINIYAM, 1981.

[Received the assent of the President on the 16th December, 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 12th January 1982.]

An Act to provide for levy of certain cesses.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981. .....

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

PART I—ENERGY DEVELOPMENT CESS

Definitions.

2. In this part unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "cess" means the energy development cess levied under section 3;

(b) "Fund" means the energy development fund referred to in sub-section (2) of section 3;

(c) words and expressions used but not defined in this part and defined in the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

Levy of energy development cess.

3. (1) Subject to the exceptions specified in section 4, every distributor of electrical energy shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of one paisa per unit on the total units of elecctrical energy sold or supplied to a consumer or consumed himself or his employees during any month;

Provided that no cess shall be payable in respect of electric energy—

(i) sold or supplied to the Government of India including Indian Railways;

(ii) consumed in the process of generation, transmission and distribution by the distributor of electrical energy.

Explanation.—For the purposes of this sub-section "month" means such period as may be prescribed.

(2) The proceeds of the cess under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a seprate fund to be called the Electrical Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Madhya Pradesh.

(3) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government be utilised for—

(a) research and development in the field of energy including electrical energy as well as other conventional and non-conventional sources of energy ;

(b) improving the efficiency of generation, transmission, distribution and utilisation of energy including reduction of losses in transmission and distribution ;

(c) research in design, construction, maintenance, operation, and materials of the equipment used in the field of energy with a view to achieve optimum efficiency, continuity and safety ;

(d) survey of energy sources including non-perenial sources to alleviate energy shortage ;

(e) energy conservation programmes ;

(f) extending such facilities and services to the consumers as may be deemed necessary ;

(g) creation of a laboratory and testing facilities for testing of electrical appliances and equipments and other equipments used in the field of energy ;

(h) programmes of training conducive to achieve any of the above objectives ;

(i) transfer of technology in the field of energy ; and

(j) any other purposes connected with improvement of generation, transmission, distribution or utilisation of electrical and other forms of energy, as the Stae Government may, by notification, specify.

Explanation—In this sub-section "energy" includes all conventional and non-conventional forms of energy.

(4) If any question arises as to whether the purpose for which the fund is being utilised is a purpose falling under sub-section (3) or not, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive.

Madhya Pradesh Act No. X of 1949 and rules made thereunder to apply.

4. The provisions of sections 4 to 9 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949) and the rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply to cess under this Act as they apply to levy of duty on sale or consumption of electrical energy under that Act and for that purpose reference to "duty" or "electricity duty" in the said Act or the rules made thereunder, as the case may be, shall be construed as reference to "cess".

PART II—URBAN DEVELOPMENT CESS

Definitions.

5. In this part,—

(a) "cess" means urban development cess levied under section 6 ;

(b) "law relating to local authority" means —

(i) in the case of a municipal corporation, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) ;

(ii) in the case of a municipal council or a notified area committee, the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) ;

(iii) in the case of a Special Area Development Authority, the Madhya Pradesh, Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);

(iv) in the case of Cantonment Board, the Cantonment Act, 1924 (II of 1924) ;

(c) "local authority" means a municipal corporation, municipal council, notified area committee, special area development authority or a cantonment board, as the case may be, constituted or deemed to have been constituted under the law relating to local authority concerned ;

(d) "municipal area" means the area comprised within the limits of a local authority ;

(e) "Sampatti Kar Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampatti Kar Adhiniyam, 1964 (No. 14 of 1964) ;

(f) "Urban Area" means the area of commercial or industrial importance having population of ten thousand or above according to last census and which is not a municipal area ;

(g) words and expressions used but not defined in this part and defined in the law relating to local authority or the Sampatti Kar Adhiniyam, shall have the meanings respectively assigned to them in the said law or the Sampatti Kar Adhiniyam, as the case may be.

Levy of cess on lands and buildings.

6. (1) There shall be charged, levied and paid for each year an urban development cess on all lands or buildings or both situated in municipal area or urban area at the rate of 5 per centum of the annual letting value or annual value :

Provided that where the lands or buildings or both are in occupation of the owner himself, the rate of cess shall be one half of the rate aforesaid :

Provided further that no cess shall be charged, levied and paid in respect of lands or buildings or both, the annual letting value or annual value whereof is less than ten thousand rupees.

(2) The cess charged and levied under sub-section (1) shall be in addition to tax charged and levied on lands or buildings or both in respect of annual letting value or annual value thereof under the law relating to local authority or the Sampatti Kar Adhiniyam, as the case may be, and shall be payable by the owner in the same manner as that tax.

(3) Subject to the provisions of this part, the provisions of the law relating to local authority or the Sampatti Kar Adhiniyam, as the case may be, and the rules made thereunder shall apply to the cess as if the cess were a tax levied under the said law or the Sampatti Kar Adhiniyam, as the case may be.

Collection of cess, etc.

7. (1) Subject to the other provisions of this part and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered to assess, reassess, collect and enforce payment of tax on lands or buildings or both in respect of the annual letting value or annual value thereof in municipal area or urban area, under the law relating to local authority or the Sampatti Kar Adhiniyam as the case may be, shall, on behalf of the State Government assess, reassess, collect and enforce payment of cess, including any penalty payable by the owner and for this purpose they may exercise all or any of the powers, they have under the said law or Adhiniyam.

(2) The proceeds of the cess collected by a local authority shall after deducting therefrom such sum of money on account of collection charges as the State Government may fix, be credited to the account of the State Government at such intervals and in such manner as may be prescribed and shall be applied to urban development schemes particularly to slum clearance.

PART III—CESS ON TRANSFER OF VACANT LAND AND LAND USED FOR THE PURPOSE OF AGRICULTURE

Definition.

8. In this part,—

(a) "vacant land" means open land, not being mainly used for the purpose of agriculture ;

(b) expressions "agriculture" and "land" shall have the meanings assigned to these expressions in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Levy of cess on transfer of vacant land.

9. (1) There shall be charged, levied and paid a cess on transfer of vacant land and land used for the purpose of agriculture at a rate of five per centum of the value of consideration for such transfer.

(2) The cess charged and levied under sub-section (1) shall be paid and recovered along with the registration of instrument of transfer of the vacant land and land used for the purpose of agriculture.

(3) The cess shall be payable by the person by whom the stamp duty is payable under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899).

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), no officer thereunder shall admit to registration any document unless the cess charged and levied under sub-section (1) is paid in full.

(5) The proceeds of the cess shall be applied to rural development specially for providing employment in rural areas.

PART IV—CESS ON STORAGE OF COAL

Levy of cess on storage of coal.

10. (1) There shall be levied and collected on all storage of coal within the State in which coal is stored after being raised and despatched from the collieries in the State a cess at the rate of two rupees per ton of coal stored.

(2) The cess levied under sub-section (1) shall, subject to and in accordance with rules made in this behalf, be collected by such agencies and in such manners as may be prescribed, and shall be applied towards development of coal bearing areas.

Power to make rules.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1982.